न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 46/2023

1 महेश । पुत्रगण । अकवाम ब्राह्मण निवासी ग्राम सरानी तहसील व जिला
2 बनवारी। रामभरोसी । धौलपुर
3 रामदास। ।
4 हरप्यारी पत्नी रामभरोसी ।

....वादीगण

बनाम

1. बिजेन्द्र (विन्दा) । पुत्रगण चिरमोली | समस्त जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम
2. महेन्द्र ।
3. सियाराम (भल्ली) । सरानी (शाहपुर) तहसील व जिला धौलपुर
4. ओमवीर । पुत्रगण बिजेन्द्र (विन्दो)
5. विजय ।
6. रेनू ।
7. गीतम ।
8. शीला पत्नी बिजेन्द्र
9. शिवनारायण पुत्र महेन्द्र
10. शशिकपूर । पुत्रगण निरोती
11. राम कपूर ।
12. सुदामा ।
13. रामू ।
14. प्रेमवती पत्नी निरोती

............प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा आधीन धारा 188, आरटीए।

<u>निर्णय</u> दिनांक 26.05.2025

वादीगण ने दावा इस आशय का पेश किया है, कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 846, 848 बाकै ग्राम सरानी (शाहपुर) तहसील व जिला धौलपुर के वादीगण खातेदार काश्तकार है, और इसी हैसियत से काबिज काश्त है। खसरा नम्बर 840, 847, व 831 विवादित आराजी के उत्तर दिशा में स्थित है, 847 खसरा नम्बर सिवायचक है। जिस पर सरकार द्वारा अटल सेवा केन्द्र का निर्माण कर दिया है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई सबंध सारोकार नहीं है। संभवतः प्रतिवादीगण वादीगण की विवादित आराजी से लगी आराजी खसरा नम्बर 840 व 831 के खातेदार काश्तकार है। यदि ऐसा है तो उनके नम्बरान से वादीगण का कोई लेना–देना नहीं है। प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात की उत्तरी दिशा की तरफ जबरन नाजायज कब्जा करना चाहते है। यद्यपि विवादित आराजी की उत्तर दिशा में पक्की बाउण्ड्री हो रखी है फिर भी बाउण्ड्री के बाबजूद भी बाउण्ड्री लांघ कर कब्जा करना चाहते है। दिनांक 20.06.2023 को सभी प्रतिवादीगण इकठ्ठे होकर विवादित आराजीयात पर आये और बोले कि बाउण्ड्री के बाद भी उनकी खातेदारी की जमीन निकल रही है। इसलिए वह जोतेगें, यदि वादी ने रोकने का प्रयास किया तो उन्हें औरतों की छेड़छाड़ के मुकदमों एवं धारा 3 एस.सी./एस.टी. के मुकदमों में फंसवा कर जेल करा देंगे। प्रतिवादीगण के वादीगण की विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करने की कोशिश तथा वादीगण को बेदखल करने की धमकी के कारण प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 11.08.2023 को श्री अश्विनी कौशल एडवोकेट उपस्थित आये और प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश किया। लेकिन दिनांक 10.02.2025 को प्रतिवादीगण एवं उनके वकील उपस्थित नहीं आये और ना ही प्रकरण में अपना जवाबदावा पेश करने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादीगण ने कथन किया कि प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। और ना ही उनका कोई हित निहित है। विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी की आराजी है। तथा वादीगण को अपनी आराजी के बाबत् प्रतिवादीगण को पाबंद कराने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए विवादित आराजी के बाबत् प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण की बहस का मनन किया, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजातों का अवलोकन किया। वादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 846 व 846 बाकै ग्राम शाहपुर तहसील व जिला धौलपुर के खातेदार काश्तकार है। और इसी हैसियत से काबिज काश्त है। वादीगण ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। धारा 188 के अधीन अनुतोष पाने के लिए वादी को स्वयं का टेनेन्ट साबित करना एवं कब्जा साबित करना आवश्यक होता है। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076 –79 के अनुसार वादीगण विवादित आराजी के खातेदार कृषक है, जिस कारण वादीगण धारा 188 आर. टी.एक्ट के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः हम उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 846, 848 बाकै ग्राम शाहपुर तहसील व जिला धौलपुर में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26.05.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर मु0
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

डिकी व मुकदमे इब्तदाई

अज अदालत : सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर
व इजलास : डॉ साधना शर्मा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 46 / 2023

1. महेश । पुत्रगण । अकवाम ब्राह्मण निवासी ग्राम सरानी तहसील व जिला
2. बनवारी । रामभरोसी । धौलपुर
3. रामदास । ।
4. हरप्यारी पत्नी रामभरोसी ।

....वादीगण

बनाम

1. बिजेन्द्र (विन्दा) । पुत्रगण चिरमोली
2. महेन्द्र ।
3. सियाराम (भल्ली) ।
4. ओमवीर । पुत्रगण बिजेन्द्र (विन्दो)
5. विजय ।
6. रेनू ।
7. गीतम ।
8. शीला पत्नी बिजेन्द्र
9. शिवनारायण पुत्र महेन्द्र
10. शशिकपूर । पुत्रगण निरोती
11. राम कपूर ।
12. सुदामा ।
13. रामू ।
14. प्रेमवती पत्नी निरोती

। समस्त जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम सरानी (शाहपुर) तहसील व जिला धौलपुर

............प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा आधीन धारा 188, आरटीए।

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ डॉ साधना शर्मा (आर.ए.एस.) व हाजिरी श्री राहुल राना एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई एवं श्री +++++ एडवोकेट मिनजानिब मुद्यालह ने पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 846, 848 बाकै ग्राम शाहपुर तहसील व जिला धौलपुर में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से निर्णय दिनांक 26.05.2025 के संदर्भ में आज दिनांक 26.05.2025 को जारी की गई।

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मु0
धौलपुर

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)